



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. आनन्द पाटील

कुलसचिव (कार्यवाहक)

Prof. Anand Patil

Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/E-mail: registrar@mgahv.in

क्रमांक : 006/स्था./स.अ./2022/09/ 635

दिनांक : 05.05.2025

परिपत्र

अधिसूचना (क्रमांक : 04A/प्र.प्र./सामान्य पत्रावली/2024-25/2226) दिनांक : 17.10.2024 के माध्यम से अकादमिक कैलेंडर के अनुसार दिनांक 06.05.2025 से 19.06.2025 तक विश्वविद्यालय में ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है।


उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, केंद्र निदेशकों, निदेशक - वर्धा समाज कार्य संस्थान, निदेशक - दूर शिक्षा निदेशालय तथा क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशकों/प्रभारियों से अनुरोध है कि कार्यालयादेश क्रमांक 006/स्था./का./2010/07/522 दिनांक 06.08.2020 (प्रति संलग्न) को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मावकाश में स्वयं उपस्थित न रह पाने पर अनुपस्थिति की अवधि में, माननीय कुलपति की स्वीकृति प्राप्त करें तथा किसी वरिष्ठ शिक्षक को अपने विभाग/केंद्र/निदेशालय आदि का दायित्व सौंपे।

साथ ही, अपने-अपने विभागों/केंद्रों में ग्रीष्मावकाश अवधि में यदि किसी स्थायी शिक्षक की अकादमिक कार्यों हेतु आवश्यकता हो, तो संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता के माध्यम से औचित्य दर्शाते हुए माननीय कुलपति की पूर्वानुमति प्राप्त कर व्यवस्था कर लें।

इसी तरह, मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालयादेश क्रमांक : 003/2003/का.आ./02/2025/128, दिनांक 25.04.2025 को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति लेकर व्यवस्था कर सकते हैं।

उपर्युक्त के आलोक में समस्त संबंधित शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश अवधि में विभागों/संकायों आदि में किये गये कार्य दिवस के एवज में नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।


(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति (ई-मेल द्वारा) : उपर्युक्तानुसार समस्त संबंधिता।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

- | | |
|---|--|
| 1. कुलपति कार्यालय | 9. कुलसचिव कार्यालय |
| 2. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष / प्रभारी, केंद्र निदेशक | 10. वित्ताधिकारी कार्यालय |
| 3. निदेशक, वर्धा समाज कार्य संस्थान | 11. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय |
| 4. निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय | 12. अकादमिक विभाग |
| 5. अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज | 13. कुलानुशासक कार्यालय |
| 6. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता | 14. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण |
| 7. प्रभारी, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धपुर (अमरावती) | 15. समस्त छात्रावास अधीक्षक |
| 8. पुस्तकालयाध्यक्ष, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय | 16. लीला प्रभारी, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |
| | 17. रक्षित पत्रावली। |

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), INDIA

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 006/स्था./का./2010/07/522
दिनांक : 06/08/2020

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय द्वारा घोषित सत्रांत (ग्रीष्म/शीत अवकाश) की अवधि में शिक्षकों द्वारा अपने विभागों में किए जाने वाले कार्यों तथा उस हेतु उपस्थिति के एवज में देय अर्जित अवकाश के संबंध में निम्नांकित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :

1. सत्रांत अवकाश के दौरान किसी कार्य को करने हेतु प्रत्येक शिक्षक को किए जाने वाले कार्य और उसकी आवश्यकता का उल्लेख करते हुए संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।
2. अनुमति के उपरांत उपस्थिति एवं कृत कार्यों के आधार पर वास्तविक कार्य दिवसों का एक तिहाई अवकाश संबंधित शिक्षक के अर्जित अवकाश खाता में जोड़ा जा सकेगा।
3. सत्रांत अवधि में किसी अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक द्वारा उपस्थित न रह पाने की स्थिति में, अपनी अनुपस्थिति की अवधि में, अपने विभाग/केंद्र के शिक्षकों की वरिष्ठता तथा उनकी सत्रांत अवधि में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, किसी शिक्षक को यह दायित्व, माननीय कुलपति से इसका अनुमोदन प्राप्त कर, सौंपा जाएगा।
4. अधिष्ठाताओं/विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों द्वारा सत्रांत अवकाश के दौरान किये गये कार्यों का स्व-सत्यापन कर अवकाश जोड़ने हेतु आवेदन कुलपति कार्यालय को भेजा जाएगा।
5. शेष शिक्षकों को अर्जित अवकाश के लाभ हेतु आवेदन, कुलसचिव कार्यालय को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाना होगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत पूर्व में निर्गत समस्त परिपत्रों/आदेशों/ कार्यालय ज्ञापन आदि को निरस्त करते हुए जारी किया जाता है।

कादर नवाज खान
(कादर नवाज खान)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय (द्वय)
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी, विभाग प्रमुख
4. कुलानुशासक कार्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण कार्यालय
6. कुलसचिव कार्यालय
7. वित्त विभाग
8. सामान्य प्रशासन विभाग
9. परीक्षा विभाग
10. प्रवेश प्रकोष्ठ
11. अकादमिक समन्वयक कार्यालय
12. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. संबंधित /रक्षित पत्रावली।

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत
Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), INDIA
ई-मेल/E-mail: registrar.mgahv@gmail.com, वेबसाइट/Website: www.hindivishwa.org